मा0 सर्वोच्च न्यायालय से आच्छादित/
सर्वोच्च प्राथमिकता/अनुस्मारक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(आई0डी0एस0 वर्ग)

पत्रांक: 375 कैम्प रोड सेफ्टी/2015 (मु0-1) दिनांक- 13 / 05 /2015

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
......................क्षेत्र,
लो0नि0वि0, ...।

विषय:- शहरी मार्गों पर होर्डिंग लगाये जाने की नीति के सम्बन्ध में निर्देश ।

सन्दर्भ:-इस कार्यालय का पत्रांक-55/रोड सेफ्टी/2014 दिनांक-24/11/2014 ।

महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 (सिविल) 295-2012 में पारित आदेशों के अनुपालन में गठित रोड सेफ्टी कमेटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रोड सेफ्टी के उपायों के सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा की जा रही है । सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए शहरी मार्गों पर होर्डिंग्स लगाये जाने की नीति के सम्बन्ध में प्रश्न सम्मिलित है ।

शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग व लो0नि0वि0, के स्वामित्व वाले मार्गों पर **IRC-46:1972 " A Policy on roadside advertisements"** के दिशा निर्देशों के अनुरूप होर्डिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ।

अत: ऐसे राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों व लो0नि0वि0, के स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर सड़क-सुरक्षा में बाधाकारी होर्डिंग्स को विलम्बतम एक माह में हटाते हुये अद्यतन आख्या इस कार्यालय को ई-मेल **roadsafetypwd@gmail. com.** पर अविलम्ब उपलब्ध कराये जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय को तदानुसार विषयक उत्तर प्रस्तुत कि जा सके ।

भवदीय,

(ए0 के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0-1)

Received 14/5/15

पत्रांक: / रोड सेफ्टी/2015 दिनांक- / /2015

प्रतिलिपि:-1 मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषित ।

2 अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता (मु0-1)

375-13May15.jpg